



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2017/पौष 30, 1938

No. 177]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2017/PAUSA 30, 1938

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2017

का.आ. 197(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तारीख 2 मई, 2011 की संख्या का.आ. 1065(अ) के तहत भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की अधिसूचना के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी को नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में उल्लिखित अधिकारी को एतद्वारा संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है और यह निदेश देती है कि उक्त अधिकारी, उक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित सरकारी स्थान के संबंध में और क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सम्पदा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

तालिका

अधिकारी का नाम और पदनाम (1)	स्थान की श्रेणी और क्षेत्राधिकार की सीमा (2)
श्री वी. श्रीनिवासराघवन, उप निदेशक, कला क्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई	तमिलनाडु के चेन्नई तथा चिंगलपुट जिलों में स्थित कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी भवन और संपत्तियां।

[फा. सं. 11-9/2015-अकादमी]

प्रणव खुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2017

S.O. 197(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Culture vide number S.O. 1065(E), dated 2nd May, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below being a gazette officer of the Government of India to be estate officer for the purpose of the said Act, and directs that the said officer shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the estate officer by or under the said Act, within the limits of jurisdiction and in respect of the public premises specified in column (2) of the said Table.

TABLE

Name and designation of the officer (1)	Categories of premises and limits of the jurisdiction (2)
Shri V. Srinivasaragavan, Deputy Director, Kalakshetra Foundaiton, Chennai	All buildings and properties under the administrative control of the Kalakshetra Foundation located in Chennai and Chingleput districts of Tamil Nadu.

[F. No. 11-9/2015-Akad.]

PRANAV KHULLAR, Jt. Secy.